बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:–15/अ0प्र0–09–06/2023 पटना, दिनांक

प्रेषक,

श्री संजय दूबे भा0प्र0से0,
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रथम अपीलीय प्राधिकार/लोक सूचना पदाधिकारी,
सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/राज्य गुणवत्ता समन्वयक/
अग्रिम योजना अंचल, पटना/सभी अग्रिम योजना प्रमंडल/सभी क्षेत्रीय प्रयोगशाला/
सभी नोडल पदाधिकारी (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ब्राडा/मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना/ग्रामीण पथ विकास अभिकरण), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार
सभी सहायक लोक सूचना पदाधिकारी–सह–प्रशाखा पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषय :–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् सूचना आवेदक को भ्रामक सूचना नहीं देने के संबंध में।

प्रसंग :–बिहार सूचना आयोग का ज्ञापांक C03/2553/रा0सू0आ0 दिनांक 02.08.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि वाद संख्या A1872/2021 श्री राकेश कुमार सिंह बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–मुख्य अभियंता–03, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ लोक सूचना पदाधिकारी –सह–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ, वैशाली में दिनांक 28.07.2023 को पारित आदेश में माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा आवेदक को भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने पर कड़ी आपत्ति जतायी गई है। आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि जिस कार्यालय से सूचना मांगी गई है, यदि सूचना का संबंध उस कार्यालय से नहीं है ऐसी स्थिति में सूचनावेदन को संबंधित कार्यालय को हस्तान्तरण किया जाना चाहिए और इसकी जानकारी आवेदक को उसी समय दी जानी चाहिए। ऐसी सूचना कभी नहीं देना चाहिए कि सूचना से संबंधित कार्य का संबंध उनके कार्यालय से नहीं है।

बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली 2009 के नियम 5 (4) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जानकारी कॉल सेंटर द्वारा प्राप्त कोई आवेदन यदि किसी ऐसे लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित किया जाता है और वह आवेदन वास्तव में किसी अन्य लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित होता है, तो प्राप्तकर्ता लोक सूचना पदाधिकारी उस आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा और इसकी सूचना आवेदक को भी देगा। यदि प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण या लोक सूचना पदाधिकारी समुचित प्रयास करने के बाद भी संबंधित लोक प्राधिकरण या लोक सूचना पदाधिकारी का पता नहीं लगा पाये तो वह आवेदक को सूचित कर देगा कि मांगी गई सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी पता नहीं है कि सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) में यह स्पष्ट अंकित है कि अन्य लोक पदाधिकारी को आवेदन का अंतरण के पश्चात ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा। परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जायेगा।

P.T.O

अतः राज्य सूचना आयोग के निदेश के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि सूचनावेदनों के प्राप्ति के पश्चात सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) एवं बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली 2009 के नियम 5(4) के अनुसार आवेदन का ससमय स्थानान्तरण संबंधित कार्यालय को करते हुए उसकी सूचना निश्चित रूप से आवेदक को दी जाय। आवेदकों को भ्रामक सूचना नहीं दी जाय अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

अनुलग्नकः—यथोक्त

विश्वासभाजन
ह0/—
विशेष सचिव

ज्ञापांकः—15/अ0प्र0—09—06/2023 पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः— सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अपने स्तर से निदेश देने की कृपा करें।

ह0/—
विशेष सचिव

ज्ञापांकः—15/अ0प्र0—09—06/2023 5181 पटना, दिनांक 13.9.23

प्रतिलिपिः— आई0टी0मैनेजर, सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि अविलम्ब विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

11/9/2023
विशेष सचिव

(1)

(14)

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना- 15, दिनांक 19.11.2009

संख्या–8/सू.अ.–15–02/2006का. 12527 /सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम 22, 2005) की धारा–27 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 में संशोधन के लिए निम्नांकित नियमावली बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।–

(1) यह नियमावली बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2009 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–2 (यहाँ इसके बाद 'मुख्य नियमावली' के रूप में संदर्भित) का संशोधन ।–

मुख्य नियमावली के नियम–2 में खण्ड–(च) के बाद एक नया खण्ड–(छ) जोड़ा जाएगा :–

खण्ड–(छ) जानकारी कॉल सेन्टर से अभिप्रेत है राज्य सरकार का एक पहल, जिसके माध्यम से दूरभाष/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना माँगी जा सकती है ।

3. मुख्य नियमावली के नियम–3 का संशोधन :–

(1) मुख्य नियमावली के नियम–3 के उप नियम–(2) के खंड(ii) के परन्तुक के पहले निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा:–

(iii) उक्त शुल्क जमा करते समय आवेदक स्व पता लिखित एवं डाक टिकट (सामान्य डाक, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट) सटा हुआ लिफाफा भी लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित करेगा। यदि किसी आवेदक ने स्व पता लिखित एवं डाक टिकट सटा हुआ लिफाफा नहीं संलग्न किया है तो इस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकृत नहीं होगा ।

(2) मुख्य नियमावली के नियम–3 के उप नियम–2 के खण्ड–(ii) के परन्तुक के बाद निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक जोड़ा जाएगा :–

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के ऐसे व्यक्तियों को मात्र 10 (दस) पृष्ठों तक की सूचना निःशुल्क दी जा सकेगी और 10 पृष्ठों से ज्यादा होने पर नियमानुसार शुल्क प्रभारित की जायेगी ।

4 नया नियम–3–क का जोड़ा जाना :–

मुख्य नियमावली के नियम–3 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा :–

3. क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए लिखित अनुरोध एकमात्र विषय से संबंधित होगा और यह सामान्यतया एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा । यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयों पर सूचना चाहता है तो वह अलग–अलग आवेदन सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष दे सकता है ।

परन्तु यह कि यदि एक से अधिक विषयों से संबंधित सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है तो लोक सूचना पदाधिकारी प्रथम विषय मात्र से सूचना देगा और आवेदक को परामर्श देगा कि अन्य विषयों में से प्रत्येक के संबंध में अलग–अलग आवेदन करें ।

5. मुख्य नियमावली के नियम–4 में उप नियमो का जोड़ा जाना :–

मुख्य नियमावली मे नियम–4 में उप नियम (2) के बाद नियम जोड़ा जाएगा :–

(3) केवल ऐसी सूचना प्रदान की जाएगी जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन देता है, जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो ऐसे मामले में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक सूचना पदाधिकारी आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा और इसकी सूचना आवेदक को भी देगा । यदि प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण या लोक सूचना पदाधिकारी समुचित प्रयास करने के बाद भी संबंधित लोक प्राधिकरण का पता नहीं लगा पाए, तो वह आवेदक को सूचित कर देगा कि माँगी गई सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी पता नहीं है कि सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी ।

(5) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है, जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकरण के पास है तथा शेष सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में, लोक सूचना पदाधिकारी उपलब्ध सूचना दे देगा तथा आवेदन की एक प्रति आवेदक को सूचित करते हुए संबंधित लोक प्राधिकरण के पास शेष भाग की सूचना प्रदान करने के लिए भेज देगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है तो ऐसी स्थिति मे, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण का लोक सूचना पदाधिकारी अपने से संबंधित सूचना दे देगा तथा साथ ही आवेदक को सलाह देगा कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन करे ।

(7) 'जानकारी' कॉल सेन्टर द्वारा प्राप्त कोई आवेदन यदि किसी ऐसे लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित किया जाता है और वह आवेदन वास्तव में किसी अन्य लोक सूचना

पदाधिकारी से संबंधित होता है, तो प्राप्तकर्त्ता लोक सूचना पदाधिकारी उस आवेदन को सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत जैसा आवश्यक हो, निष्पादन हेतु स्थानांतरित कर देगा । ऐसे मामलों में प्रथम बार आवेदन प्राप्त करने वाला लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने हेतु उस आवेदन को लिए लोक सूचना पदाधिकारी नहीं समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 19.11. 2009

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना बिहार को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी मुद्रित 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को सुलभ कराने हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 19.11. 2009

प्रतिलिपि :– मुख्य मन्त्री, बिहार, पटना के सचिव/उप मुख्य मन्त्री, बिहार पटना के आप्त सचिव, मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/सचिव, बिहार सूचना आयोग तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15 दिनांक 19.11 2009

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार विधान सभा, पटना तथा सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना को एक सी0डी0 तथा दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का. 12522 /पटना–15, दिनांक 2009

प्रतिलिपि :–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की दिनांक 17.11.09 की मद संख्या–18 द्वारा स्वीकृति के अनुपालन में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव